खबरदार!

बाल दुर्व्यापार संज्ञेय अपराध है।

"बाल शोषण मानवता पर कलंक है"

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

1 यदि आपके घर /रहने की जगह पर कोई परिचित /अपरिचित /दोस्त या रिश्तेदार आता /आती है और आपके लड़के /लड़की को दिल्ली, मुम्बई, पटना या किसी अन्य महानगर /शहर ले जा कर पढ़ाई या काम सिखाने का लालच देता है या पढ़ाई या काम सिखाने के बहाने आपको कुछ एडवांस देता है तो !

2 ऐसा आदमी एक दलाल है और कानूनी अपराधी है

3 इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस में करें

4

- बच्चों का दुर्व्यापार एक कानूनी अपराध है जिसे कराने वाले और बच्चों को बेचने वाले मालिक, दलाल या माँ -बाप को आई पी० सी० की धारा 370 एवं 370 (a) के तहत कम से कम 7 वर्ष की सजा हो सकती है जो कि 10 वर्ष तक बढ़ सकती है

- एक से अधिक व्यक्तियों के मानव दुर्व्यापार के अपराध के लिए आई पी० सी० की धारा 370 के तहत कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास जो कीआजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और यह अपराध गैरजमानतीय और संज्ञेय है
- नाबालिग का दुर्व्यापार करने वाले के लिए आई पी० सी० की धारा 370 के तहत कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास जो की आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माना गैरजमानतीय है
- एक से अधिक नाबालिग का दुर्व्यापार किये जाने पर आई पी० सी० की धारा 370 के तहत कम से कम 14 वर्ष के लिए कारावास जो की आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माना दोनो ही हो सकता है, यह संज्ञेय अपराध गैरजमानतीय है
- एक से अधिक अवसरों पर नाबालिग के दुर्व्यापार के दोषी व्यक्ति को आई पी० सी० की धारा 370 के तहत आजीवन कारावास! आजीवन कारावास का अर्थ है, उस व्यक्ति को अपने प्राकृतिक जीवन के शेष वर्ष कारावास में ही बिताने होंगे तथा साथ ही साथ उस पर ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है!

बाल दुर्व्यापार एक संगठित अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें...

बाल दुर्व्यापर के सम्बन्ध में जानकारी चाइल्डलाइन 1098, पुलिस 100 और बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर दी जा सकती है।

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाईट: www.satyarthi.org

सावधान!

बाल यौन शोषण कानूनी जूर्म है।

"बाल-उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेना भी एक तरह की हिंसा ही है!"

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

बाल यौन शोषण क्या है?

- बच्चो के साथ यौन व्यवहार करना
- बच्चों के यौन अंगो को छूना
- बच्चे के शरीर मे यौन अंगो मे उंगलिया या कोई और वस्तु डालना
- शरीर का कोई यौन अंग बच्चे को दिखाना
- बच्चे को जबरदस्ती यौन विषयों को दिखाना
- बच्चो से वैश्यावृति करवाना
- बच्चे के शरीर के किसी भाग का इलेक्ट्रॉनिक चित्र खींचना, फिल्म बनाना, किसी भी रूप मे उपयोग करने की धमकी देना

बाल यौन शोषण

- बाल यौन शोषण लड़का या लड़की दोनों का हो सकता है इसमें बच्चे को अपनी गलती को सिद्ध नहीं करना पड़ता।
- यौन शोषण करने वाला ज्यादातर जानकार व्यक्ति या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है।
- किसी भी बच्चे को किसी के द्वारा कोई यौन अंग दिखने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा हो सकती है।
- बच्चे के यौन अंग को छूने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है
- किसी भी बाल शोषण की जानकारी होने पर पुलिस को सुचना देना अनिवार्य है।
- पुलिस रिपोर्ट नहीं करने वाले पर 6 महीने से लेकर एक साल तक का कारावास तथा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यौन उत्पीड़न से **बच्चों का सरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट 2012)** के अंतर्गत कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास का प्रावधान है।

बाल यौन शोषण कानूनी अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें...

बाल यौन उत्पीड़न की जानकारी चाइल्डलाइन 1098, महिला आयोग 1090, पुलिस 100 और 181 एवं बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर दी जा सकती है।

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाईट: www.satyarthi.org

खबरदार!

बाल मजदूरी कानूनी जुर्म है।

हर बच्चे का है अधिकार
रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

- 14 साल से कम उम्र का बच्चा मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता।
- बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
- बाल मजदूरी कराने वाले को 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- इस कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे, जिन्हें ''किशोर'' कहा जाता है, खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में काम नहीं कर सकता है।
- 14 साल से कम उम्र व्यवसाय का बच्चा अपने परिवार के में मदद कर सकता है, बशर्ते वह व्यवसाय खतरनाक नहीं हो। यह काम भी बच्चा स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही कर सकता है।
- 14 से 19 वर्ष के किशोर, खान, ज्वलन शील पदार्थ एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकता है।
- खतरनाक व्यवसाय, जैसे-ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैराज, सर्कस, हाथियों की देखभाल, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचरा उठाना और कबाड़ चुनना, चूना भट्ठा तथा घरेलू श्रम सहित अन्य 136 व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकता है।
- इस कानून के तहत बाल श्रम से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक श्रम विभाग 155214, पुलिस100, चाइल्डलाइन 1098, पेंसिल पोर्टल www. Pencil.gov.in पर कर सकता है।

बाल मजदूरी कानूनी अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें...

इस कानून के तहत कोई भी नागरिक बल श्रम से सम्बंधित शिकायत श्रम विभाग 155214, पुलिस 100, चाइल्डलाइन 1098 और बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 एवं पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in पर कर सकता है।

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाईट: www.satyarthi.org

सावधान!

बाल विवाह एक क़ानूनी अपराध है।

पढ़ने बढ़ने की उर्म है बाल विवाह जुर्म है

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

- 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से काम आयु की लड़की का विवाह करना अपराध है।
- बाल विवाह करवाने वाले दोषी, माता पिता तथा अन्य रिश्तेदारों को 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह करने वाले पंडित/ आचार्य को भी सजा हो सकती है।
- बाल विवाह मे शामिल होने वाले हर व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह के लिए अपनी सेवा देने वाला नाई, रसोईये, बैंड एवं टेंट वाले या हर किसी को 2 साल तक की सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह की जानकारी - चाइल्ड लाइन 1098 , महिला आयोग 1090 , पुलिस 100 और 181 पर दी जा सकती है।

बाल विवाह एक क़ानूनी अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें...

बाल विवाह की जानकारी - चाइल्डलाइन 1098, महिला आयोग 1098, पुलिस 100 और 181 एवं बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर दी जा सकती है।

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाईट: www.satyarthi.org

शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है

"हम हर एक उस बच्चे के प्रति जवाबदेह हैं, जो आज स्कूल में नहीं हैं"

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

- शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को 14 साल तक निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है अर्थात सरकारी स्कूल मे कक्षा 1 से 8 तक पढाई निशुल्क है।
- शिक्षा के साथ 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कॉपी, किताब, बस्ता एवं यूनिफार्म निशुल्क प्रदान किये जाते है
- प्राइवेट स्कूल मे गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार के बच्चों को 14 साल तक निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है।
- स्कूलों मे बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक यातना देना क़ानूनी जुर्म है।
- स्वास्थय एवं अन्य सुविधाएँ हर बच्चे का अधिकार है।
- किसी भी तरह के शोषण, अपमान और दुराचार से सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार है।
- हर बच्चे को स्वच्छ पानी, स्वच्छ शौचालय एवं पौष्टिक आहार का अधिकार है।
- बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है।
- हर बच्चे को खेल एवं मनोरंजन का अधिकार है।
- धार्मिक स्वंत्रता हर बच्चे का अधिकार है।
- हर बच्चे को मुफ्त क़ानूनी सहायता पाने का अधिकार है।
- बच्चे को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार है।
- माता पिता के साथ परिवार मे प्रसन्नतापूर्वक रहना बच्चे का अधिकार है।
- आनंदमय बचपन हर बच्चे का अधिकार है।

शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें...

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाईट: www.satyarthi.org

सभी बच्चे स्कूल में

बदलेगें तस्वीर हम सब मिल जुल कर बनायेगें बाल मित्र ग्राम

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन एक दशक से भी अधिक समय से देश के 600 से अधिक गांवों में "बाल मित्र ग्राम" की स्थापना कर चुका है। जहां सभी बच्चे सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ एवं आजाद बचपन की ओर अग्रसर हैं।

बाल मित्र ग्राम के निम्नलिखित उद्देश्य है :

1. बाल शोषण रहित समुदाय
2. समुदाय के सभी बच्चे स्कूल में हों
3. बाल मजदूरी मुक्त समाज
4. स्कूलों में मुफ्त, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना
5. सामुदायिक स्तर पर सभी बच्चों की बाल संसद का निर्माण
6. समुदाय के विकास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाईट: www.satyarthi.org